न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या– 01/420/2014

जीसीएमएस– 2014/00252

दायर दिनांक– 09.05.2014 (12.06.1998)

निर्णय दिनांक– 09.07.2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज.

बउनवान

1. श्री प्रहलाद सहाय पुत्र श्री शम्भूदयाल जाति महाजन निवासी खेरली गंज, तहसील कठूमर (अलवर)

बनाम

1. श्री शम्भूदयाल पुत्र श्री रतन लाल (मृतक)।
2. श्री मोहनलाल पुत्र श्री शम्भूदयाल जाति महाजन निवासी खेरली गंज, तहसील कठूमर (अलवर)।
3. श्री सेडूराम पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति जाट निवासी मंगोलाकी तहसील कठूमर, अलवर।
4. श्री लक्ष्मण पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति जाट निवासी मंगोलाकी तहसील कठूमर, अलवर।
5. श्री मोतीलाल पुत्र श्री कुन्दन जाति ब्राम्हण निवासी सौंखरी, तहसील कठूमर, अलवर।

...प्रतिवादीगण

6. श्री सुरेश पुत्र श्री मोती जाति ब्राम्हण निवासी सौंखरी तहसील कठूमर अलवर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कठूमर, अलवर।

...तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अंतर्गत धारा 88,89, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955

उपस्थिति–1.श्री राजेश कुमार अवस्थी, अधिवक्ता वादी।
2.श्री राधावल्लभ शर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार कठूमर।

09.7.24

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में वाद–पत्र के विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1204 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा वाकै ग्राम सौंखरी, तहसील कठूमर में स्थित है, जो आराजी पौखर वाली आराजी के नाम से जानी जाती है। इस वादग्रस्त आराजी की ताईद में नकल जमाबन्दी हाल संवत् 2052 एवं नकल ट्रेस नक्शा के साथ पेश है। विवादित आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के समान भाग कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। इस आराजी में वादी का 1/3 भाग है तथा शेष 2/3 भाग प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का है तथा मुताबिक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हाल राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्तानुसार हाल खातेदार काश्तकार दर्ज है। मुताबिक हिस्सा विवादित आराजी पर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने विवादित आराजी को 5 साल पूर्व घरेलू बंटवारा कर लिया था। जिसके अनुसार वादी उपरोक्त आराजी के 1/3 भाग तरफ उतर पर काबिज है तथा शेष 2/3 भाग तरफ दक्षिण पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 शामलात में काबिज है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में विवादित आराजी अभी तक भी शामलात खातेदारी में दर्ज चली आ रही है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने 18 साल पहले विवादित आराजी को रजिस्टर्ड बयनामा दीगर व्यक्ति से खरीद कर प्राप्त किया था तभी से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 विवादित आराजी को शामलात में रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। विवादित आराजी वादी की खरीदशुदा कब्जे की आराजी है, जिस आराजी को वादी ने 30000/– रू. में छिन्दूसिंह, बिजेन्द्रसिंह, रोहतानसिंह पुत्रान दुर्गासिंह राजपूत से दिनांक 14.07.1980 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था, जिस पर वादी वक्त खरीद से सन् 1994 तक निर्विवाद रूप से अकेला काबिज चला आ रहा था, जिस आराजी से प्रतिवादीगण का कोई सरोकार व सम्बन्ध नहीं था। वादी का सगा भाई कृपादयाल सन् 1980 में ग्राम सौंखर का सरपंच था जो कोर्ट कचहरी के कार्य करता था। कृपादयाल को वादी ने विवादित आराजी की रजिस्ट्री वादी के पक्ष में करवाने हेतु रूपये देकर कठूमर भेज दिया था, लेकिन कृपादयाल ने चालाकी से विवादित आराजी सालम का बयनामा वादी के पक्ष में नहीं करवाकर 3 रजिस्ट्री 1/3 भाग वादी के नाम, 1/3 भाग पिता शम्भूदयाल के नाम तथा 1/3 भाग छोटे भाई मोहनलाल के नाम करवा दी, जो गलत है। विवादित आराजी वादी की खरीदशुदा खातेदारी की आराजी है जिस आराजी को वादी स्वयं अकेले ने खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था तथा रकम 30000/– रूपये वादी ने ही दी थी, जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में हुए बयनामा गलत है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। वादी स्वयं के नाम इश्तकरारहक की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जबरदस्त व्यक्ति है जिनसे कुछ अर्से से वादी की रंजिश चली आ रही है जिसके कारण शामलात काश्त करने में रूकावट पैदा हो रही है। प्रतिवादीगण ने गलत राजस्व रिकॉर्ड का फायदा उठाते हुए विवादित आराजी के 2/3 भाग तरफ दक्षिण पर अक्टूबर 1994 में कब्जा कर लिया तथा 1/3 भाग तरफ उतर वादी के लिए छोड दिया। जिस कारण वादी अपने स्वयं के 1/3 भाग को जरिये अदालत तकसीम करवाना चाहता है तथा तकसीम शुदा आराजी पर अलग से दखल लेना चाहता है जिस हेतु यह दावा अदालत में प्रस्तुत है। प्रतिवादीगण 1 व 2 लडाकू किस्म के व्यक्ति है जिन्होने प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 से सांठगांठ कर रखी है। सभी प्रतिवादीगण

09.3.24

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज.

वादी को मुताबिक हिस्सा 1/3 भाग तरफ उतर पर काश्तकारी करने में रूकावट तथा मजामहत पैदा करते हैं एवं जबरन वेदखल करने की धमकी देते हैं। दिनांक 01.06.1998 को सभी प्रतिवादीगण ने वादी को 1/3 भाग पर काश्त नहीं करने देने, जबरन वेदखल करने तथा फसल बोने पर जबरन काट कर ले जाने की ऐलानियां धमकी दी, जिस कारण प्रतिवादीगण को डिक्री हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबंद फरमाया जाना जरूरी है। जिस हेतु यह दावा हाजा श्रीमान अदालत में प्रस्तुत किया है। अतः वादी ने दावा हाजा पेश कर आराजी खसरा नम्बर हाल 1204 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा का 1/3 भाग वाके ग्राम सौंखर वादी के तकसीम फरमाया जाकर तकसीमशुदा आराजी को वादी के नाम खातेदारी दर्ज करने की डिक्री जारी करवाने हेतु निवेदन किया है। इसके साथ ही प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे काश्त खातेदारी आराजी खसरा नम्बर हाल 1204 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा के 1/3 भाग में काश्तकारी करने में रूकावट व मजामहत पैदा ना करने एवं जबरन बेदखल नही करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने हेतु डिक्री जारी करने का निवेदन किया है। इस कारण उक्त वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा आज्ञाप्ति एवं उद्घोषणा खातेदारी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण फरमाये जाने हेतु यह वाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया, जिसकी अनुपालना में प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राधावल्लभ शर्मा ने अपना वकालतनामा एवं जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 7 पैरोकार सरकार तहसीलदार, कठूमर द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया।

वादी द्वारा संशोधित वाद–पत्र माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 10.03.2014 की पालना में 10,000/– रूपये कॉस्ट जरिये रसीद EX5 जमा करवाकर पेश किया था। जब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजीखुशी कब्जा नहीं छोडा तो सन् 1997 में वादी ने सम्पूर्ण रकबे पर कब्जा कर काश्त शुरू कर दी तथा प्रतिवादीगण द्वारा कब्जे काश्त में रूकावट मजामहत करने पर वादी के आवेदन पर विवादित आराजी को अदालत श्रीमान द्वारा रिसीवर कर दिया गया। दिनांक 10.06.1999 को विवादित आराजी को रिसीवर द्वारा वादी के कब्जे से कब्जे राज लिया गया, जो आराजी आज भी रिसीवरी चली आ रही है आदि पेश किया था। वादी की ओर से अपने वाद–पत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में PW1 स्वयं व्रादी प्रहलाद सहाय, PW2 कृपादयाल व PW3 राजेश खण्डेलवाल नोटेरी पब्लिक के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी द्वारा EX1 प्रार्थना–पत्र आदेश 23 नियम 3 सीपीसी, EX2 शपथ–पत्र विजेन्द्र सिंह राजपूत, EX3 शपथ–पत्र जगनीराम जाटव, EX4 शपथ–पत्र प्रहलाद सहाय, EX5 रसीद दिनांक 03.06.2014, EX6 जमाबन्दी संवत 2058, EX7 नक्शा ट्रेस, EX8 बयनामा दिनांक 14.07.1980, EX9 बयनामा दिनांक 14.07.1980, EX10 बयनामा दिनांक 14.07.1980, EX11 नकल इंतकाल संख्या 386, EX12 नकल इंतकाल संख्या 388, EX13 नकल इंतकाल संख्या 387, EX14 नकल आदेश दिनांक 03.04.1999 एवं EX15 शपथ–पत्र कृपादयाल पेश किये।

दिनांक 12.11.2014 को प्रतिवादी संख्या 2 मोहनलाल की ओर से अधिवक्ता प्रतिवादी ने संशोधित जवाबदावा एवं काउण्टर क्लेम पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। वादी अभिभाषक ने दिनांक 15.01.2016 को जवाब काउण्टर क्लेम पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। वादी के वाद–पत्र का प्रतिवादी संख्या 2 मोहनलाल द्वारा संशोधित जवावदावा में काउण्टर क्लेम पेश किया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

वाद वर्णित आराजी को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा छिद्दूसिंह, विजेन्द्र सिंह, रोहतान सिंह पुत्रान दुर्गासिंह राजपूत से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 14.07.1980 का खरीद करना बताया है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 02.07.1998 को 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा प्रतिवादी संख्या 1 से खरीदने का उल्लेख किया है तथा वादी का 1/3 हिस्सा वाद संख्या 23/2011 (06/96) प्रहलाद सहाय बनाम शम्भूदयाल न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश लक्ष्मणगढ में पेश राजीनामा दिनांक 25.10.1997 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1204 मिन प्रतिवादी संख्या 2 को बंटवारे में मिलना बताया है तथा काउण्टर क्लेम में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश लक्ष्मणगढ में पेश दावा संख्या 23/2011 उनवान प्रहलाद सहाय बनाम शम्भूदयाल में पेश राजीनामा दिनांक 25.07.1997 के आधार पर वादी के 1/3 हिस्से की खातेदारी की घोषणा अपने नाम कर वादी का नाम कलमजन करने का अनुतोष चाहा गया है। अपने जवाब व काउण्टर क्लेम के संमर्थन में मौखिक साक्ष्य व DW1 स्वयं मोहनलाल ने अपने बयान दर्ज करवाये हैं। दस्तावेजी साक्ष्य में EX-A1 नकल दावा दिनांक 12.06.1998, EX-A2 संशोधित दावा, EX-A3 नकल राजीनामा एडीजे कोर्ट लक्ष्मणगढ, EX-A4 नकल राजीनामा निरस्ती का प्रार्थना–पत्र, EX-A5 नकल निर्णय दिनांक 27.07.2001, EX-A6 नकल जमाबन्दी संवत 2058, EX-A7 नकल बयनामा दिनांक 14.07.1980 एवं EX-A8 नकल बयनामा दिनांक 02.07.1998 पेश किये हैं।

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पेश काउण्टर क्लेम का जवाब वादी द्वारा दिया गया जिसमें वादी द्वारा अपने वाद–पत्र के कथनो को दोहराते हुए वाद वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1204 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा वाके सौंखर को वादी द्वारा छिद्दूसिंह, बिजेन्द्र सिंह, रोहतान सिंह पुत्रान दुर्गासिंह राजपूत से खरीद कर कब्जा प्राप्त करना तथा दिनांक 10.06.1999 में वाद वर्णित आराजी का रिसीवरी होना एवं तहसीलदार कठूमर द्वारा वादी से वाद वर्णित आराजी को कब्जे राज लेना उल्लेखित किया है। राजीनामा दिनांक 25.07.1997 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा प्रथम अपील संख्या 301/2001 में निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश लक्ष्मणगढ को रिमाण्ड किया था। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा ही राजीनामा दिनांक 25.07.1997 को निरस्त करने बाबत न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश लक्ष्मणगढ में प्रार्थना–पत्र पेश किया था, आदि पेश कर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पेश काउण्टर क्लेम को भारी हर्जाने खारिज करने का निवेदन किया है।

इस प्रकरण में वादी के वाद–पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 2 के जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम, अभिवचनों व दस्तावेजों के आधार पर निम्न तनकियां कायम की गई :–

1. आया वादी ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 1204 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम सौंखर को दिनांक 14.07.1980 को छिद्दू सिंह, बिजेन्द्र सिंह, रोहतान सिंह पुत्रान दुर्गासिंह राजपूत से खरीद किया था, जिसके आधार पर वादी उक्त आराजी अपने नाम खातेदारी अधिकार घोषित करवाने की डिक्री जारी करवाने का कानूनी अधिकारी है ?

.....जिम्मे वादी

2. आया वादी आराजी खसरा नम्बर 1204 वाके सौंखर बाबत् इश्तकरारहक की डिक्री प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है ?

.....जिम्मे वादी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

3. आया वादी प्रतिवादीगण को डिक्री हुवगइग्तेनाई दवागी से पावन्द कराने का कानूनी अधिकारी है ?

.....जिम्मे वादी

4. आया प्रतिवादी संख्या 2 आराजी खसरा नम्बर 1204 वावत् जरिये राजीनामा दिनांक 25.07.1997 के मुताबिक खातेदारी प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है ?

.....जिम्मे प्रतिवादी संख्या 2

5. आया प्रतिवादी संख्या 2 आराजी खसरा नम्बर 1204 के 1/3 हिस्से को मोहनलाल ने वादी से जरिये इकरारनामा दिनांक 25.10.1997 को प्राप्त किया है, जिसके बाबत् इश्तकरारहक की डिक्री प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है ?

.....जिम्मे प्रतिवादी संख्या 2

6. आया प्रतिवादी संख्या 2 से विवादित आराजी खसरा नम्बर 1204 का कब्जा रिसीवर ने प्राप्त किया था ?

.....जिम्मे प्रतिवादी संख्या 2

7. आया बयनामा निरस्त करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को ना होकर सिविल न्यायालय को है ?

.....जिम्मे प्रतिवादी संख्या 2

8. दादरसी ?

यह है कि उक्त तनकियों में से तनकी संख्या 1 लगायत 3 को साबित करने का भार वादी पर है। तनकी संख्या 4 लगायत 7 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 2 पर है। वादी ने अपने वादपत्र के सम्बन्ध में गवाह PW1 प्रहलादसहाय स्वयं वादी, PW2 कृपादयाल, PW3 राजेश खण्डेलवाल नोटेरी पब्लिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में EX1 प्रार्थना–पत्र आदेश 23 नियम 3 सीपीसी, EX2 शपथ–पत्र विजेन्द्र सिंह राजपूत, EX3 शपथ–पत्र जगनीराम जाटव, EX4 शपथ–पत्र प्रहलाद सहाय, EX5 रसीद दिनांक 03.06.2014, EX6 जमाबन्दी संवत् 2065, EX7 नक्शा ट्रेस, EX8 बयनामा दिनांक 14.07.1980, EX9 बयनामा दिनांक 14.07.1980, EX10 बयनामा दिनांक 14.07.1980, EX11 नकल इन्तकाल संख्या 386, EX12 नकल इन्तकाल संख्या 388, EX13 नकल इन्तकाल संख्या 387, EX14 नकल आदेश दिनांक 03.04.1999 एवं EX15 शपथ–पत्र कृपादयाल पेश किये हैं।

हमनें उभयपक्ष अभिभाषक व पैरोकार सरकार की उपस्थिति में सुनी। बहस के आधार पर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजों का बतौर अध्ययन किया। वकील वादी द्वारा दौराने लिखित बहस फर्द दस्तावेज के रूप में न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2018(1) चौथाराम बनाम उर्स खान पेज संख्या 584 से 588 तथा आरआरटी 2018(1) विजयसिंह बनाम बुद्वा पेज संख्या 534 से 541 पेश किये। उभयपक्ष अभिभाषक व पैरोकार सरकार की उपस्थिति में सुनी गई बहस पर मनन किया जाकर तनकीवार निर्णय इस प्रकार किया जा रहा है :–

<u>तनकी नं0 1</u> :– उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। इस सम्बन्ध में वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य में स्वयं के बयान PW1 प्रहलाद सहाय, PW2 कृपादयाल तथा PW3 राजेश खण्डेलवाल नोटेरी पब्लिक के बयान करवाये हैं, जिन्होनें अपने शपथ–पत्र में वादी के वाद–पत्र में उल्लेखित तथ्यों का समर्थन किया है एवं जिरह में भी पूर्ण रूप से वादी के वाद–पत्र का समर्थन किया है। दिनांक 14.07.1980 को वादी प्रहलाद सहाय

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

द्वारा छिद्दूसिंह, विजेन्द्र सिंह, रोहतान सिंह पुत्रान दुर्गासिंह राजपूत से 30,000/- रूपये में वाद वर्णित आराजी खसरा संख्या 1204 रकवा 8 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम सौंखर को स्वयं वादी द्वारा खरीदना बताया है तथा प्रतिफल स्वरूप 30,000/- रूपये की राशि का भुगतान भी विक्रेताओं को वादी द्वारा अपनी आडत की दुकान पर करना बताया है तथा PW2 कृपादयाल जो इस प्रकरण का अहम गवाह है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का सगा भाई है, जिसको वादी द्वारा वाद वर्णित जायदाद की रजिस्ट्री कराने 14.07.1980 को तहसील कार्यालय कठूमर भेजा था जिसने अपने मुख्य परीक्षण में पेश शपथ-पत्र में वादी के वाद-पत्र में कहे गए कथनों का समर्थन किया है तथा दिनांक 14.07.1980 को वादी प्रहलादसहाय द्वारा छिद्दूसिंह, बिजेन्द्रसिंह, रोहतानसिंह पुत्रान दुर्गासिंह राजपूत से 30,000/- रूपये में वाद वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1204 रकवा 8 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम सौंखर को खरीदना बताया है तथा प्रतिफल स्वरूप संपूर्ण राशि का भुगतान भी विक्रेताओं को अपने सामने आडत की दुकान पर वादी प्रहलादसहाय द्वारा ही करना बताया है गवाह कृपादयाल ने डीड राइटर के कहने पर अकेले वादी प्रहलादसहाय के नाम बयनामा नहीं कराकर तीन अलग-अलग बयनामा 1/3 का मोहनलाल व 1/3 क़ शिंभूदयाल के हक में लिखवाना बताया है जिस समय बयनामा तस्दीक हुआ था उस वक्त प्रतिवादी संख्या 2 मोहनलाल की उम्र 13 वर्ष होना बताया है तथा PW2 यह भी स्वीकार करते हैं कि मेरी गलती की वजह से ही मोहनलाल व शंभूदयाल के हक में उक्त बयनामा करवाए गए थे। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जीवन काल में कोई भी जायदाद नहीं खरीदी तथा अपनी जिरह में भी शपथ-पत्र में कही गई बातों का समर्थन किया है तथा कब्जे राज होने से पहले वक्त खरीद से वाद वर्णित आराजी पर वादी प्रहलादसहाय द्वारा ही काबिज रहकर काश्त करना बताया है एवं स्वयं द्वारा एक शपथ-पत्र EX15 नोटरी पब्लिक से तस्दीक कराकर दिया था। गवाह PW3 राजेश खंडेलवाल नोटरी पब्लिक है, जिसके द्वारा बिजेन्द्रसिंह पुत्र दुर्गासिंह राजपूत निवासी सौंखर जो आराजी खसरा नम्बर 1204 का विक्रेता था का शपथ-पत्र दिनांक 27.06.2009 तस्दीक किया था, जो शपथ-पत्र EX2 है, जो नोटरी रजिस्टर क्रमांक सीरियल नम्बर 571 दिनांक 27.06.2009 पर दर्ज है शपथ-पत्र EX2 पर A से B विजेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर है, जिसने बताया कि विजेन्द्र सिंह द्वारा सुन समझ कर मेरे सामने हस्ताक्षर किये थे। उसी दिन दूसरा शपथ-पत्र जगनी राम जाटव पुत्र गरीबा जाटव का हल्फनामा तस्दीक किया था, जो EX3 है, जिस पर जगनीराम द्वारा सुन समझकर मेरे समक्ष अपने हस्ताक्षर किये थे, जिसमें A से B जगनीराम के हस्ताक्षर है तथा हल्फनामा पर C से D अपने हस्ताक्षर होना बताया है। शपथ-पत्र EX P3 मेरे नोटरी रजिस्टर सीरियल नम्बर 572 दिनांक 27.06.2009 पर दर्ज है तथा एक हल्फनामा दिनांक 25.02.2018 को गवाह कृपादयाल पुत्र शम्भूदयाल का तस्दीक किया गया था जो EX P15 है, जिसमें पर A से B कृपादयाल के हस्ताक्षर है। वादी द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्य EX1 लगायत EX15 के सम्बन्ध में वादी अथवा वादी के गवाहान से प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा कोई जिरह नहीं की गयी। वादी द्वारा पेश गवाह PW2 कृपादयाल वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 मोहनलाल का सगा भाई है, जो इस प्रकरण का महत्वूपर्ण गवाह है, जिसके द्वारा ही बयनामा EX8, EX9, EX10 अपनी गलती से 1/3 हिस्सा वादी को, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के हक करना बताया है, जबकि वाद वर्णित आराजी को अकेले वादी प्रहलादसहाय द्वारा खरीदना बताया है। वादी द्वारा पेश शपथ-पत्र EX2 विजेन्द्रसिंह जो कि बयनामा दिनांक 14.07.1980, EX8, EX9, EX10 में स्वयं विक्रेता है, जो अपने शपथ-पत्र EX2 में आराजी खसरा नम्बर 1204 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा को अकेले वादी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

प्रहलाद सहाय द्वारा ही खरीदना बताता है तथा बयनामा के प्रतिफल स्वरूप 30,000/- रूपये भी अकेले प्रहलादसहाय द्वारा ही अदा करना बताया है। दूसरा शपथ-पत्र वादी द्वारा जगनीराम का EX3 पेश किया है जो कि इस प्रकरण में महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जगनीराम पुत्र गरीबा जाटव विवादित आराजी के बयनामा दिनांक 14.07.1980, EX8, EX9, EX10 में गवाह है तथा जगनीराम ने अपने शपथ-पत्र EX3 में जुलाई माह 1980 में छिद्दूसिंह, विजेन्द्र सिंह, रोहतान सिंह पुत्रान दुर्गासिंह राजपूत द्वारा वाद वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1204 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा वाकै सौंखर को वादी प्रहलादसहाय को बेचना बताया है तथा प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि 30,000/- रूपये छिद्दूसिंह, विजेन्द्रसिंह, रोहतानसिंह की आडत की दुकन पर वादी प्रहलादसहाय द्वारा ही अदा करना बताया है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा पेश मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य से वाद वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1204 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा अकेले वादी प्रहलादसहाय द्वारा ही छिद्दूसिंह, विजेन्द्रसिंह, रोहतानसिंह से खरदीना बखूबी साबित है तथा वक्त खरीद प्रतिवादी संख्या 2 की आयु 14 वर्ष होना भी स्वीकृत तथ्य है तथा प्रतिवादी संख्या 2 नाबालिग होने की वजह से किसी भी किस्म की संविदा करने में असमर्थ है इसलिए तनकी सख्या 1 वादी प्रहलादसहाय के पक्ष में बखूबी साबित होती है।अतः तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 2 :- आया वादी आराजी खसरा नम्बर 1204 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा वाकै ग्राम सौंखर की इस्तकरारहक की डिकी प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। तनकी संख्या 1 व तनकी संख्या 2 एक दुसरे से संबंधित है तथा तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में बखूबी साबित है। वादी द्वारा पेश मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह बखूबी साबित है कि आराजी खसरा नम्बर 1204 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा वादी प्रहलादसहाय द्वारा ही छिद्दूसिंह, विजेन्द्रसिंह, रोहतानसिंह से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था तथा वक्त खरीदने से ही वादी प्रहलादसहाय ने काबिज रहकर काश्त की है तथा प्रतिवादी संख्या 2 का कभी भी वाद वर्णित आराजी पर किसी भी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं रहा, ऐसी स्थिति में वाद वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1204 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा वाकै ग्राम सौंखर बाबत वादी इस्तकरारहक की डिकी प्राप्त करने का एवं राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे प्रतिवादी संख्या 2 मोहनलाल के नाम को कलमजन कराने का अधिकारी है। तनकी संख्या 1 एवं 2 एक दूसरे से सम्बन्धित है तथा दोनो ही तनकी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से वादी प्रहलादसहाय के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः तनकी संख्या 2 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 3 :- आया वादी आराजी खसरा नम्बर 1204 वाकै ग्राम सौंखर प्रतिवादीगण को डिकी हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबंद करवाने का कानूनी अधिकारी है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1204 वादी प्रहलादसहाय की खरीदसुदा आराजी है वादी द्वारा पेश गवाहान के बयान व दस्तावेजी साक्ष्य तथा रिसीवर आदेश दिनांक 10.06.1999 से यह वखूवी साबित है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1204 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा वाकै ग्राम सौंखर में वादी प्रहलादसहाय के शांतमय कब्जे काश्त में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 के साथ नाजायज़ गिरोह बनाकर रूकावट व मजाहमत पैदा की थी, इसी वजह से अदालत श्रीमान द्वारा विवादित आराज़ी कब्जे राज लेने हेतु तहसीलदार कठूमर को रिसीवर नियुक्त किया था तथा रिसीवर द्वारा भी विवादित आराजी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

का कब्जा वादी से प्राप्त किया था, ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 3 भी वादी प्रहलादसहाय के पक्ष में बखूबी साबित है तथा वादी डिक्री हुक्मइम्तनाइ दवामी से प्रतिवादीगण को पाबंद कराने का कानूनी अधिकारी है। अतः तनकी संख्या 3 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 4 एवं 5 :– आया प्रतिवादी विवादित आराजी का 1/3 भाग जो वादी के नाम खातेदारी में दर्ज है, जरिये राजीनामा दिनांक 25.10.1997 के प्रतिवादी संख्या 2 मोहनलाल को प्राप्त हो चुकी है तथा आया प्रतिवादी आराजी खसरा नम्बर 1204 के 1/3 हिस्सा जो वादी के नाम खातेदारी में दर्ज है के बाबत् इस्तकरारहक की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त दोनो तनकी आपस में एक दूसरे से सम्बन्धित है। इन तनकियों को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 2 पर है। प्रतिवादी द्वारा पेश अपने जवाब दावा मय काउटर क्लेम के समर्थन में स्वयं प्रतिवादी DW1 मोहनलाल के बयान दर्ज करवाए हैं तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल दावा EX A1, नकल संशोधित दावा EX A2, नकल राजीनामा EX A3, नकल राजीनामा निरस्त हेतु प्रार्थना पत्र EX A4, नकल निर्णय दिनांक 27.07.2001 EX A5, नकल जमाबन्दी संवत् 2058 EX A6, नकल बयनामा दिनांक 01.07.1980 EX A7, नकल बयनामा दिनांक 02.07.1998 EX A8, पेश किये हैं। प्रतिवादी द्वारा एडीजे कोर्ट लक्ष्मणगढ में पेश राजीनामा दिनांक 25.10.1997 के द्वारा वाद वर्णित जायदाद का 1/3 भाग प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्राप्त करना व वादी के नाम खातेदारी में दर्ज 1/3 भाग बाबत् डिक्री इस्तकरारहक का अनुतोष चाहा गया है। जहां तक राजीनामा दिनांक 25.10.1997 जो EX A3 है, जिस बाबत् वादी द्वारा उक्त राजीनामा निरस्त करने बाबत् सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की गयी थी तथा स्वयं प्रतिवादी सख्या 2 मोहनलाल द्वारा राजीनामा निरस्त करवाने बाबत् प्रार्थना पत्र EX A4, एडीजे कोर्ट में पेश किया था। उक्त दावे की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में भी अपील हुई थी, जिसकी सिविल फर्स्ट अपील संख्या 301/2001 है। उक्त अपील में राजीनामा दिनांक 25.10.1997 जो EX A3 है एवं निर्णय दिनांक 27.07.2001 जो EX A5 है, को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिनांक 01.02.2007 को पुनः अपील सुनवाई हेतु न्यायालय एडीजे लक्ष्मणगढ के लिए रिमाण्ड की गई थी तथा आज तक उक्त राजीनामा दिनांक 25.10.1997 EX A3 के आधार पर सिविल कोर्ट द्वारा प्रतिवादी के हक में कोई डिक्री पारित नहीं की है और ना ही वाद वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1204 वाकै ग्राम सौंखर न्यायालय एडीजे कोर्ट लक्ष्मणगढ में विचाराधीन दावे का भाग रही है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं द्वारा पेश मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह बात बखूबी सावित है कि स्वयं प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा ही प्रार्थना–पत्र EX A4 के जरिये उक्त राजीनामा EX A3 को खारिज करने हेतु निवेदन किया था, जो राजीनामा राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.02.2007 को खारिज हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 2 का यह कहना है कि वाद वर्णित आराजी उसे राजीनामा दिनांक 25.07.1997 के जरिये प्राप्त हुई है स्वतः ही गलत साबित हो जाता है। इस प्रकार तनकी संख्या 4 को प्रतिवादी संख्या 2 अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहा है तथा उक्त राजीनामा के आधार पर प्रतिवादी नम्बर 2 मोहनलाल को वाद वर्णित आराजी कभी मिली ही नहीं थी और ना ही वाद वर्णित आराजी पर प्रतिवादी संख्या 2 का कब्जा रहा, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 2 वादी के 1/3 भाग बाबत् इस्तकरारहक की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। तनकी संख्या 5 को प्रतिवादी संख्या 2 अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहा है।अतः तनकी संख्या 5 विरूद्व प्रतिवादी संख्या 2 निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

तनकी सं0 6 – आया प्रतिवादी संख्या 2 से विवादित आराजी खसरा नम्बर 1204 का कब्जा रिसीवर ने प्राप्त किया था। उक्त तनकी को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा साबित किया जाना है। वादी द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य से दिनांक 10.06.1999 को तहसीलदार कठूमर को वाद वर्णित आराजी बाबत् रिसीवर नियुक्त होना बताया है तथा वादी द्वारा ही रिसीवर को कब्जा सुपुर्द करना बताया है। चूंकि उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 2 पर था, प्रतिवादी संख्या 2 ने रिसीवर द्वारा विवादित आराजी को किस के कब्जे से कब्जे राज लिया गया, इसे प्रतिवादी संख्या 2 को ही साबित करना था। इस बाबत् प्रतिवादी संख्या 2 को घटना वही की नकल पेश करनी चाहिए थी। इस विषय में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा ना तो काई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया है और ना ही कोई स्वतंत्र गवाह के बयान कराये हैं। प्रतिवादी संख्या 2 बेकब्जा व्यक्ति है जिसका वाद वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1204 वाकै ग्राम सौंखर से कभी किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सख्या 2 तनकी संख्या 6 को अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहा है।

अतः प्रतिवादी संख्या 2 तनकी संख्या ,4,5,6 को अपने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराने में असफल रहा है। इसलिए आउंटर क्लेम प्रतिवादी संख्या 2 काबिल खारिज है। अतः तनकी संख्या 4,5व6 विरूद्व प्रतिवादी संख्या2निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 7 :– दादरसी।

चुंकि वादी तनकी संख्या 1,2 व 3 को वादी अपने पक्ष में तथा विरूद्व प्रतिवादीगण बखूबी साबित कराने में सफल रहा है तथा तनकी संख्या 4,5,6 को प्रतिवादी संख्या 2 अपने पक्ष में विरूद्व वादी साबित कराने में असफल रहा है। जहां तक प्रतिवादी संख्या 2 का यह कहना कि रजिस्टर्ड बयनामा शून्य व निष्प्रभावी किये जाने का अधिकार राजस्व न्यायालय को ना होकर दिवानी न्यायालय को है, तो इस विषय में वादी का तर्क है कि वादी के वाद–पत्र का मुख्य अनुतोष इस्तकरारहक की डिकी का है तथा इस्तकरारहक की डिकी का अनुतोष राजस्व न्यायालय ही देने में सक्षम है, दीवानी न्यायालय सक्षम नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की तृतीय अनुसूची में भी खातेदारी की घोषणा हेतु राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार दिया हुआ है। इस सम्बन्ध में वादी की ओर से RRT 2018 (1) पेज संख्या 534 – 541 की नजीर पेश की जा रही है, जिसमें कृषि भूमि का विक्रय किया गया था तथा खातेदारी की घोषणा हेतु राजस्व न्यायालय को सुनवाई को क्षेत्राधिकार होना तय किया है तथा वादी द्वारा दावे में खातेदारी की घोषणा बाबत् अनुतोष चाहा गया है। बयनामा के आधार पर खातेदारी की घोषणा करने का अधिकारी है तथा रेवेन्यू कोर्ट विक्रय विलेख को शुन्य व अप्रभावी घोषित कर सकता है। इस सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207 में प्रावधान है कि –

"Section 207 of the Rajasthan Tenancy Act provides that all suits and applications of the nature specified in Schedule-III shall be heard and determined by the Revenue Court shall take cognizance of any such suit or application or of any suit or application based on a cause of action in respect of which any relief could be obtained by means of any such suit or application. The explanation appended to Section 207 of the Act provides that if the cause of action is one in respect of which relief might be granted by the Revenue Court, it is immaterial that the relief asked for from the Civil Court is greated than, or additional to or is not identical with that which the Revenue court may possibly grant. The term 'cause of action' though no where defined is now very well understood. It means every fact which would be necessary for the

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

plaintiff to prove, if traversed; in order to support his right to judgement. It follows that in each and every case the cause of action for filing of the suit shall have to be stricflty scrutinised in order to determine whether the suit is exclusively cognizable by a Revenue Court or is impliedly cognizable only by a Revenue Court or is cognizable by a Civil Court. If more than one reliefs are claimed in the suit, then the jurisdiction of the civil or Revenue Courts to entertain the suit in the suit shall be determined on the basis as to what is the real or substantial or main relief claimed in the suit. If the main relief is cognizable by a Revenue Court, the suit would be cognizable by a Revenue Court would be immaterial for the determination of the proper forum for filing the suit. On the other hand, if the main relief is cognizable by a Civil Court, the suit would be cognizable by Civil Court only and ancillary reliefs are immaterial."

हस्तगत प्रकरण में मुख्य अनुतोष विकय पत्र को प्रभावहीन घोषित कराने के सम्बन्ध में है, ना कि विकय पत्र को निरस्त करने के सम्बन्ध में। इस बिन्दु पर न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 1984 पेज 280, आर.आर.डी 1982 पेज 299 एवं आर.आर.डी. 1984 पेज 851 उद्वरित किये गये हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से मत प्रतिपादित किया गया है कि जहां विकय पत्र के सम्बन्ध में मुख्य अनुतोष विकय पत्र का प्रभावहीन एवं शून्य घोषित करने के सम्बन्ध में हो, वहां इस प्रकार का अनुतोष राजस्व न्यायालयों द्वारा दिया जाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है और इस सम्बन्ध में किसी प्रकर की आपत्ति उचित नहीं है कि राजस्व न्यायालयों को प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसके साथ ही 2002 आर.आर.डी. पेज संख्या 52 (उच्च न्यायालय) 2007 आर.आर.डी. पेज संख्या 537 (उच्च न्यायालय) 1980 आर.आर.डी. पेज संख्या 750, 2001 ए.आई.आर. (एस.सी.) पेज संख्या 2282 तथा आर.बी.जे. (14) 2007 पेज 35 में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है।

ऐसी स्थिति में दावा वादी, विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 का काउण्टर क्लेम मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। वादी द्वारा लिखित बहस पेश कर निवेदन किया गया कि काउण्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 2 खारिज फरमाया जाकर डिकी इश्तकरारहक मसवरे वादी को आराजी खसरा नम्बर 1204 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा वाकै ग्राम सौंखर तहसील कठूमर जिला अलवर का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा एवं राजस्व रेकर्ड से प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर उक्त आराजी वादी के नाम खातेदारी में दर्ज करवाई जावे। प्रतिवादीगण को डिकी हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे कि वो वाद वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1204 वाकै ग्राम सौंखर में काश्तकारी कार्य में रूकावट व मजाहमत पैदा नहीं करे तथा जबरन बेदखल कर प्रतिवादीगण कब्जा नहीं करे। अतः उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर एवं उभय पक्ष बहस तथा दस्तावेजी साक्ष्यों से वादी का वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:: आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

नम्बर 1204 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा वाकै ग्राम सौंखर में वादी के कब्जे काश्त उपरान्त उपभोग में दखल व्यवधान नहीं करें। धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार कठूमर एवं प्रतिवादी संख्या 2 के जवाब दावा तथा वादी के काउण्टर क्लेम जवाब दावा के आधार पर वादी को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1204 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा वाकै ग्राम सौंखर तहसील कठूमर जिला अलवर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजी में से प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी के नाम खातेदारी दर्ज करने की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाती है। इस आशय की डिक्री पर्चा बनाया जाकर शामिल मिसल किया गया। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना–अपना वहन करें। निर्णय व डिक्री की राजस्व अभिलेख में अमल दरामद एवं पालनार्थ हेतु तहसीलदार कठूमर को तहरीर जारी की जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

09.7.24

सत्यनारायण मिण्डेल
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या– 01/420/2014

जीसीएमएस– 2014/00252

दायर दिनांक– 09.05.2014 (12.06.1998)

निर्णय दिनांक– 09.07.2024

बउनवान

1. श्री प्रहलाद सहाय पुत्र श्री शम्भूदयाल जाति महाजन निवासी खेरली गंज, तहसील कठूमर (अलवर)

....., डिक्रीदार

बनाम

1. श्री शम्भूदयाल पुत्र श्री रतन लाल (मृतक)।
2. श्री मोहनलाल पुत्र श्री शम्भूदयाल जाति महाजन निवासी खेरली गंज, तहसील कठूमर (अलवर)।
3. श्री सेडूराम पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति जाट निवासी मंगोलाकी तहसील कठूमर, अलवर।
4. श्री लक्ष्मण पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति जाट निवासी मंगोलाकी तहसील कठूमर, अलवर।
5. श्री मोतीलाल पुत्र श्री कुन्दन जाति ब्राम्हण निवासी सौंखरी, तहसील कठूमर, अलवर।

...मदयूनान्

6. श्री सुरेश पुत्र श्री मोती जाति ब्राम्हण निवासी सौंखरी तहसील कठूमर अलवर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कठूमर, अलवर।

...तरतीबी मदयूनान्

वाद–पत्र अंतर्गत धारा 88,89, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1204 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा वाकै ग्राम सौंखर में वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखल व्यवधान नहीं करें। धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार कठूमर एवं प्रतिवादी संख्या 2 के जवाब दावा तथा वादी के काउण्टर क्लेम जवाब दावा के आधार पर वादी को वादग्रस्त आराजी खसरा

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

नंम्बर 1204 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा वाकै ग्राम सौंखर तहसील कठूमर जिला अलवर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजी में से प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी के नाम खातेदारी दर्ज करने की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाती है।

आज दिनांक 09.07.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय सील से जारी हुई।

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)